

राजस्थान सरकार

कार्यालय सभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, बीकानेर।

क्रमांक : प.17(3955) आक्षेपि/रेगु/2018/1550-53

दिनांक : 18 अगस्त. 2018

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.। 8890234807	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर 9799776677
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

संशोधित चक्रीय कार्यक्रम

विषय : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक. 22.08.18 प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 16.09.2018 सायं: 6.00 बजे तक चार में से एक समूह पानी चलाये जाने के लिए समूहों का विवरण एवं संशोधित चक्रीय कार्यक्रम।

प्रसंग : इस कार्यालय के संमसख्यक पत्रांक 1477-1541 दिनांक 09.08.18 एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ का पत्रांक 249 एवं 251 दिनांक 17.08.18

महोदय,

मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रासांगिक पत्रों जिसमें इन्दिरा गांधी फीडर की बुर्जी 311 (बाए) बैंक पर नहर ने पाईपिंग से रिसाव के कारण फीडर के रिपेयर के कार्य में 2 - 3 दिन का समय लगना बताया है तथा इस दौरान हरिके से इन्दिरा गांधी फीडर में पानी की मात्रा लगभग 4500 क्युसेक रिस्ट्रिक्ट रखी जानी संभावित बताई गई है एवं वर्तमान में चल रहे चक्रीय कार्यक्रम जिसमें समुह "अ" का रोटेशन दिनांक 19.08.18 प्रातः 6 बजे पूर्ण होने पश्चात शेष रोटेशन को तीन दिन तक आस्थगित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रासांगिक पत्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन का एतद द्वारा अनुमोदन किया जाता है एवं संशोधित चक्रीय कार्यक्रम निम्न प्रकार से प्रभावी होगा:-


समय : इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 620 पर

क्र. सं.	अवधि (इंगामुन की आरडी 620)	गुप्तों का वरियता समूह			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
2	22.08.18 (प्रातः 6 बजे) बुधवार से 30.08.18 (सायं 6 बजे) गुरुवार तक	ब	स	द	अ
3	30.08.18 (सायं 6 बजे) गुरुवार से 08.09.18 (प्रातः 6 बजे) शनिवार तक	स	द	अ	ब
4	08.09.18 (प्रातः 6 बजे) शनिवार से 16.09.18 (सायं 6 बजे) रविवार तक	द	अ	ब	स

नोट: 1 इस कार्यालय के पत्रांक 1477-1541 दिनांक 09.08.18 द्वारा जारी चक्रीय कार्यक्रम में उक्त संशोधन के अलावा शेष समुहों का विवरण, शर्तें आदि यथावत रहेगी।

2 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रासांगिक पत्रों द्वारा बताए गए समयानुसार इन्दिरा गांधी फीडर की रिपेयर करवाना सुनिश्चित करें ताकि कृषकों में असंतोष उत्पन्न नहीं हो।


भवदीय,



उपायुक्त,  
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,  
बीकानेर।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेषाधिकारी(एस)मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज. जयपुर
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर/जोधपुर.
6. जिला कलक्टर, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर/नागौर /बाड़मेर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर /नागौर /बाड़मेर
8. मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
9. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना-II, जन स्वा. अभि. विभाग, चुरू
10. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बीकानेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, चुरू।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत्त, नागौर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत्त, बाड़मेर।
14. उपखण्डअधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूणकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चुरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घड़साना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/ नोहर/पीलीबंगा/रावतसर /सरदारशहर/तारानगर/फलौदी/जैसलमेर/पोकरण।
15. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
16. उप निदेशक, कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
17. उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
18. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चुरू/जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
19. नोडल अधिकारी, सीएडी वेबसाईट, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त चकीय कार्यक्रम को सीएडी की वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ उक्त अधिकारियों को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।
20. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

  
उपायुक्त,  
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,  
बीकानेर।